—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मदन लाल पारीक —— प्रार्थीगण
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई ——अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री चैन सिंह शेखावत ——अप्रार्थी संख्या 2 व 3
4. श्री जसपाल सिंह दहिया ——अप्रार्थी संख्या 6 ता 9

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वाद पत्र में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 22/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि उक्त उनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्व सम्भावना है।यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच.डी.पी. के प.न. 5/256 (17) किला न. 11/1, 11/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, प.न. 5/257 (19) के किला न. 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6 [illegible] 10/1, 10/2 की कुल 3.8090 हैक. नहरी मय गै.मु.रास्ता खाला भुमि वादी स. 1 के पड़दादा श्री मलुराम की भूमि थी। मलुराम के दो पुत्र मनफुलराम साहबराम व एक पुत्री कमला थे। साहबराम पुत्र मलुराम के कोई औलाद नही थी उनकी मृत्यु हो चुकी है। श्री मलुराम की मृत्यु के बाद यह भूमि उनके

पुत्र मनफुलराम व पुत्री कमला देवी को ब.हि. ब. विरास्तन प्राप्त हुई । श्री मनफुलराम की मृत्यु हो चुकी है उनके एक पुत्र विनोद की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिये मनफुलराम की मृत्यू के बाद यह भूमि उनके वारीस प्रार्थीगण 1/8 हिस्सा ब. हि. ब. अप्रार्थीगण स. 1, 3–4 को 1/8 हिस्सा प्रत्येक को विरास्तन प्राप्त होकर राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुकी है। जिसकी चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है

यह कि प्रार्थीगण के पिता व पति विनोद कुमार पुत्र मनफुल की मृत्यु हो चुकी है उनके वारीस प्रार्थीगण है। प्रार्थी स. 1 नाबालिग है जो अपनी माता प्रार्थीया स. 2 के साथ अपने ननिहाल मोजगढ में रह रहा है। प्रार्थी स. 1 के नाबालिग होने के कारण यह प्रार्थना पत्र जरिये माता पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि में अप्रार्थीया स. 2 कमला देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा जो उसे विरास्तन प्राप्त हुआ है यह समस्त हिस्सा अप्रार्थीया ने अपने भाई मनफुल के पक्ष में काफि वर्ष पुर्व हक छोड. दिया था। इसलिये इस समस्त भूमि पर मनफुल बतौर खातेदार काबिज काश्त रहे। मनफुल राम की मृत्यू के बाद यह 3.8090 हैक. भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी स. 1 व 3, 4 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ। मनफुल राम की मृत्यु के बाद भी कमला देवी ने इस भूमि में मनफुल राम के सभी वारिसान का हिस्सा स्वीकार करती रही है उसने कभी कोई हिस्सा नही लिया है इस बाबत अप्रार्थीया कमला देवी ने लिखित भी करवाई थी जो अप्रार्थी स. 1 के कब्जा में है।

यह कि प्रशनगत भूमि में अप्रार्थीया स. 2 का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। इस भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है। यह भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीया स. 2 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा पुर्व में हुए दस्तावेज को छुपाते हुये अप्रार्थी स. 1 ने अप्रार्थीया 2 व गवाहो से मिलिभगत कर हमारा हिस्सा हडपने की नियत से एक विधिविरूद्ध दस्तावेज दिनांक 24.06.2022 को अप्रार्थी स. 1 ने अप्रार्थीया स. 2 से समस्त भूमि का हकत्याग अपने पक्ष में करवा लिया जो कानुनन सही नही है। विधि अनुसार किसी एक खातेदार के पक्ष में हकत्याग नही किया जा सकता है। यदि ऐसा दस्तावेज निष्पादित किया जाता है तो यह हकत्याग सभी सहखातेदार परिवार के सदस्यो के पक्ष में माना जायेगा । इसलिये कमला देवी द्वारा सुभाषचन्द्र के पक्ष में किया गया हकत्याग दस्तवरदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी के पक्ष में की गई मानी जायेगी इसलिये इस भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण स. 1 व 3–4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा का हक निहित है। परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि मुताबिक हिस्सा दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है।

यह कि प्रशनगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिस पर प्रत्येक सह खातेदार का संयुक्त कब्जा है इसका बंटवारा नही हुआ है। जिस कारण सींव बट व रकमराज को लेकर विवाद बना रहता है। प्रशनगत भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है और यह संयुक्त खाता की भूमि है जिसका बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थी स. 1 जो कि लालची किस्म का व्यक्ति है उसने हम प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध एक विधि विरूद्ध दस्तावेज दस्तवरदारी अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर इस प्रभावहिन व शुन्य दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में हम प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत अपने नाम अंकन करवाने एंव इस भूमि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है। अगर अप्रार्थी स. 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी मुश्किल है। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रशनगत भूमि को

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम दर्ज है व इस प्रकार से भूमिधारी [illegible] भूमि के रिकार्ड की [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] 1/ [illegible] भूमि [illegible]

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट अहलमद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थीगण की एक तरफा [illegible] 26/06/22 को [illegible] की गई है। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री [illegible] विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थीया सं 2 की ओर से जवाब दावा मय कागजात संक्षिप्त निम्न प्रकार से है-

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित [illegible] स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 [illegible] स्वीकार यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कथन स्वीकार है कि मनुराम के दो पुत्र मनफूलराम, साहबराम व एक पुत्री कमला थे। मनुराम की मृत्यु के पश्चात प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित भूमि मनुराम के दोनों पुत्र व पुत्री को प्राप्त हुई थी अर्थात तीनों को बराबर-बराबर प्राप्त हुई थी। साहबराम [illegible] का स्वर्गवास होना स्वीकार है

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में वर्णित तथ्य कि अप्रार्थीया सं. 2 कमला देवी ने अपना [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] हिस्सा [illegible] विरासतन प्राप्त हुआ था, यह समस्त हिस्सा अप्रार्थीया ने अपने भाई मनफूल के हक में [illegible] स्वीकार है परन्तु कमला देवी ने अपने भाई साहबराम के जीवनकाल में ही अपना 1/3 हिस्सा अपने भाई मनफूल के हक में त्याग दिया था। यह तथ्य कि समस्त भूमि पर मनफूल [illegible] काबिज काश्त [illegible] स्वीकार है। कमला देवी ने साहबराम की मृत्यु के पश्चात साहबराम के 1/3 हिस्से में विरासतन प्राप्त अपना हिस्सा [illegible] अपने भाई मनफूल के हक में हक त्याग दिया था। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की मद सं.3 में वर्णित कृषि भूमि में कमला देवी ने अपना समस्त हिस्सा अपने भाई मनफूल के हक में त्याग कर दिया था।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं.6 में वर्णित तथ्य कि प्रश्नगत कृषि भूमि में अप्रार्थीया सं. 2 का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नहीं है स्वीकार है। यह तथ्य कि इस भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है स्वीकार है। यह तथ्य कि अप्रार्थीया सं.2 ने अपने नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में विधि विरुद्ध दस्तावेज दिनांकित 24.06.2022 को निष्पादित करवाया है स्वीकार है। यह विधिक तथ्य है कि एक खातेदार के पक्ष में हक त्याग नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा दस्तावेज निष्पादित किया जाता है तो ऐसा हक त्याग सभी सहखातेदार [illegible] के पक्ष में माना जायगा स्वीकार है। शेष [illegible] है। 7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 में वर्णित तथ्य कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त कब्जा है, इसका बटवारा नहीं हुआ है। इस संबंध में [illegible] स्वीकार है कि प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थीया सं. 2 को छोड़कर शेष खातेदारों की संयुक्त खाता की भूमि है जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त कब्जा है। इसका बटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष स्वीकार है।

यह कि अप्रार्थीया सं. 2 ने अपने भाई साहबराम के जीवनकाल में ही अपना 1/3 हिस्सा अपने भाई मनफूल के पक्ष में [illegible] दिनांक 05.06.2001 को त्याग दिया था। इसी प्रकार साहबराम की मृत्यु के पश्चात भी अप्रार्थीया सं.2 ने अपना विरासतन प्राप्त सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई मनफूल के पक्ष में [illegible] त्याग दिया था। अब प्रार्थना पत्र की मद सं.3 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीया सं.2 का कोई भी हिस्सा नहीं रहा था किन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अप्रार्थीया सं. 2 के नाम कृषि भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए

अप्रार्थीया स. 2 ने विधिविरूद्ध दस्तावेज दिनांक 24.06.2022 हक त्याग प्रतिवादी स.1 के पक्ष में निष्पादित फुलवती करवाया है जो विधितः शुन्य दस्तावेज है। अप्रार्थीया स.3 के विधिक अधिकारों पर निष्प्रभावी है। मन अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है। इसी कदर मन अप्रार्थीया स.3 अपने हक व हिस्सा 1/4 हिस्सा की खोतदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है व अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्ध प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण प्राप्त करने की अधिकारीणी है कि प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण किसी कदर रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करें भूमि के मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीयाध अप्रार्थीया स.3 के पक्ष में है।

यह कि मन अप्रार्थीया स 3 का प्रति प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीया व शेष अप्रार्थीगण जारी की जावें कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एचडीपी के प.न. 5/256 (17) के सिस. 11/1, 11/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2 व प. न. 5/257 (19) के किला न. 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2 की कुल 3.8090 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता भूमि को प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण किसी कदर रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करें भूमि के मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री शेलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है जिसमे कि प्रार्थीगण को सफलता की कोई आशा नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कथन सजरा खानदान से सम्बधिंत होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कथन मे जमांबदी राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कथन कानूनी होने के कारण स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कथन कतई अविधिक, मनगढत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 मे वर्णित कथन कतई अविधिक, मनगढत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। यह कि दस्तावेज हक त्याग दिनांक 24.06.2022 में दर्ज कृषि भूमि का हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 01 सुभाषचन्द पुत्र स्व. मनफुलराम के पक्ष मे निष्पादित करवाया था जिसमें गवाह कृष्ण पुत्र लखीराम, राजेन्द्र पुत्र रामकुमार व प्रलेख लेखक के रोबरू उपपंजीयक पीलीबंगा के यहां पंजीकृत करवाया था उक्त दस्तावेज रोबरू गवाहान लेखबद्व करवाया था उसे सुन समझ कर सही होना स्वीकार करते हुए उस पर अपने अगुंठे चिन्ह लगाए थे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 मे वर्णित कथन कतई अविधिक मनगढत व असत्य होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में 1/4 हक व हिस्सा नही बनता है क्योंकि अप्रार्थी सं. 01 के पास जरिये दस्तवदारी कृषि भूमि अतिरिक्त आई हुई है जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 को जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर पक्षकार संयोजित किया गया है अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 6 ता 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। प्रार्थीगण की प्रकरण में कोई काम याबी नहीं होगी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 अस्वीकार है। सिद्व भार प्रार्थीगण का है। जबकि प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये अप्रार्थी न. 1 ता 4 से मिलि भगत कर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने लायक नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 के तमाम तथ्य प्रार्थीगण ने निराधार अंकित किये हैं जो अस्वीकार है। जबकि हम अप्रार्थी न. 6 ता 9 यानि शान्ति पत्नि स्वः शिवकुमार, अनिलकुमार–मुकेशकुमार पि. स्वः शिवकुमार, प्रमिला पुत्री स्वः शिवकुमार पत्नि विष्णू जाति बिशनोई साकिन चक 4 एच डी पी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के पक्ष में जरिये डिक्री न्यायालय ए डी जे सं. 2 हनुमानगढ़ के आदेश, निर्णय व डिक्री के जरिये मु.न. 62/2013 अनवान शिवकुमार बनाम मनफूल मृतक (फूलवन्ती आदि) के अनुसार वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा जरिये उप पंजियक गोलूवाला के दिनांक 3.9.2024 का पंजियन शुदा बैयनामा हम अप्रार्थीगण के पक्ष में ब. हिस्सा बराबर बराबर पंजियन शुदा है। उक्त अनवान का दावा मु.न. 62/2013 अनवान शिवकुमार बनाम मनफूल मृतक (फूलवन्ती आदि) में हस्तगत प्रकरण के वादी न. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1,3,4 द्वारा उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार के साथ दिनांक 28.10.2020 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा लिखित में कर न्यायालय के द्वारा तस्दीक करवाया गया है। जिसके अनुसार हस्तगत प्रकरण के वादी न. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1,3,4 द्वारा तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार के पक्ष में करवाने की सहमति दी गई। पक्षकारान के मध्य हुए उक्त राजीनामा के अनुसरण में उक्त न्यायालय ए डी जे सं. 2 हनुमानगढ़ द्वारा उक्त सिविल वाद सं. 62/2013 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.12020 को मुताबिक राजीनामा पारित की गई है। एंव राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार द्वारा ईजराय पेश करने के बाद दोराने ईजराय प्रार्थना पत्र उक्त शिवकुमार की दिनांक 25.11.2022 को मृत्यू होने के पश्चात उक्त शिवकुमार के वारिसान इजराय प्रार्थना पत्र न. 181/2022 में शिवकुमार के स्थान ईजराय प्रार्थना पर बतौर प्रार्थीगण के इजराय में पक्षकार बनाये गये। उक्त इजराय प्रार्थना पत्र 181/2022 का निस्तारण न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ द्वारा दिनांक 5.8.2024 को किया जाकर न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ़ के रीडर श्री महेश लेखरा को डिक्री दिनांक 28.10.2020 की पालना में हम अप्रार्थीगण शान्तिदेवी, अनिलकुमार, मुकेशकुमार, प्रमीला के पक्ष में बैयनामा निष्पादित कर पंजिबद्ध करवाने हेतू अधिकृत किया गया, जिसके अनुसरण में न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ के रीडर श्री महेश लेखरा द्वारा हम प्रार्थीयान के पक्ष में दिनांक 3.9.2024 को उप पंजियक गोलूवाला में डिक्री दिनांक 28.10.2020 में वर्णित तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा निष्पादित कर पंजिबद्ध करवा दिया गया है। चूँकि इस न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद / प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए में हम प्रार्थीयान के पक्ष में निष्पादित बैय नामा की भूमि पर स्थग्न आदेश जारी किया गया है। श्री मान जी के न्यायालय द्वारा जारी स्थग्न आदेश को हम अप्रार्थीगण की हद तक खारिज किया जाना आवश्यक है ताकि अदालत के द्वारा मुताबिक राजीनामा हम अप्रार्थीगण के पक्ष में पंजियन शुदा उक्त दस्तावेज बैयनामा के अनुसार हम प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज हो सके।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। सिद्ध भार प्रार्थीगण का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। हम अप्रार्थीगण शान्ति पनि स्वः शिवकुमार, अनिलकुमार–मुकेशकुमार पि. स्वः शिवकुमार, प्रमिला पुत्री स्वः शिवकुमार पनि विष्णू जाति बिशनोई साकिन चक 4 एच डी पी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के पक्ष में जरिये डिक्री न्यायालय ए डी जे सं. 2 हनुमानगढ़ के आदेश, निर्णय व डिक्री के जरिये मु.न. 62/2013 अनवान शिवकुमार बनाम मनफूल मृतक (फूलवन्ती आदि) के अनुसार वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा जरिये उप पंजियक गोलूवाला के दिनांक 3.9.2024 का पंजियन शुदा बैयनामा प्रार्थीगण के पक्ष में ब. हिस्सा बराबर बराबर पंजियन शुदा है। उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र मु.न. 62/2013 अनवान शिवकुमार बनाम मनफूल मृतक (फूलवन्ती आदि) में

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हस्तगत प्रकरण के वादी न. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1,3,4 द्वारा उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार के साथ दिनांक 28.10.2020 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा लिखित में कर न्यायालय के द्वारा तस्दीक करवाया गया है। हस्तगत् प्रार्थना पत्र के वादी न. 1 सुर्यप्रकाश व वादी न. 2 सुशीला व अप्रार्थी न. 1 सुभाषचन्द्र व अप्रार्थी न. 3 फूलवन्ती व अप्रार्थी न. 4 सुलोचना ने उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार के साथ उक्त सिविल वाद में राजीनामा के जरिये यानि हस्तगत प्रकरण के वादी न. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1,3,4 द्वारा तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार के पक्ष में करवाने की सहमति दी गई। पक्षकारन के मध्य हुए उक्त राजीनामा के अनुसरण में उक्त न्यायालय ए डी जे सं. 2 हनुमानगढ़ द्वारा उक्त सिविल वाद सं. 62/2013 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2020 को मुताबिक राजीनामा पारित की गई है। एंव राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया गया है। जिससे प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र पेश करने के हकदार नहीं है। उक्त निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार द्वारा ईजराय पेश करने के बाद दोराने ईजराय प्रार्थना पत्र उक्त शिवकुमार की दिनांक 25.11.2022 को मृत्यू होने के पश्चात शिवकुमार के वारिसान इजराय प्रार्थना पत्र न. 181/2022 में शिवकुमार के स्थान ईजराय प्रार्थना पर बतौर प्रार्थीगण के इजराय में पक्षकार बनाया गया। उक्त इजराय प्रार्थना पत्र 181/2022 का निस्तारण न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ द्वारा दिनांक 5.8.2024 को किया जाकर न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ के रीडर श्री महेश लेखरा को डिक्री दिनांक 28.10.2020 की पालना में प्रार्थीया शान्तिदेवी, अनिलकुमार, मुकेशकुमार, प्रमीला के पक्ष में बैयनामा निष्पादित कर पंजिबद्ध करवाने हेतू अधिकृत किया गया, जिसके अनुसारण में न्यायालय ए डी जी सं. 2 हनुमानगढ के रीडर श्री महेश लेखरा द्वारा हम प्रार्थीयान के पक्ष में दिनांक 3.9.2024 को उप पंजियक गोलूवाला में डिक्री दिनांक 28.10.2020 में वर्णित तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा निष्पादित कर पंजिबद्ध करवा दिया गया है। चूँकि इस न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में हम प्रार्थीयान के पक्ष में निष्पादित बैय नामा की भूमि पर स्थग्न आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण हम अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहा है जिससे श्री मान जी के न्यायालय के द्वारा जारी स्थग्न आदेश को हम अप्रार्थीगण की हद तक खारिज किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है । प्रार्थीगण ने निराधार तथ्य वर्णित किये हैं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है । प्रार्थीगण ने निराधार तथ्य वर्णित किये हैं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से हम अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई मामला नही बनता है। प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के पक्ष में पँजियन शुदा उक्त बैयनामा का कोई विरोध नहीं किया है। उक्त वर्णित राजीनामा के अनुसार वादी न. 1 व 2 व प्रतिवादी न. 1, 3, 4 ने लोक अदालत की भावना से उक्त सिविल वाद का वादी शिवकुमार से राजीनामा कर उक्त वर्णित बैयनामा की सहमति दी है। उसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को यह दावा पेश करने का कोई हक नहीं है। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का प्रकरण नहीं बनता है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई स्थाई व अस्थाई स्थग्न आदेश (स्टे) प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए को खारिज किया जावे।

अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए को मय जारी शुदा अस्थाई निशेधाज्ञा खारिज किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई बहस में अधिवकता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पैत्रक कृषि भूमि है परिवारिक वंशावली प्रस्तुत की गई है कमला देवी द्वारा जो मनफूल राम की बहन है मनफूल के पक्ष में दस्तबरदारी की गई है अप्रार्थी स. 1 ने अप्रार्थीया 2 व गवाहो से मिलिभगत कर हमारा हिस्सा हडपने की नियत से एक विधिविरूद्ध दस्तावेज दिनांक 24.06.2022 को अप्रार्थी स. 1 ने अप्रार्थीया स. 2 से समस्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि का हकत्याग अपने पक्ष में करवा लिया जो कानूनन सही नही है। विधि अनुसार किसी एक खातेदार के पक्ष में हकत्याग नही किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है और यह संयुक्त खाता की भूमि है जिसका बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थी स. 1 जो कि लालची किस्म का व्यक्ति है उसने हम प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध एक विधि विरूद्ध दस्तावेज दस्तवरदारी अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर इस प्रभावहिन व शुन्य दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में हम प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत अपने नाम अंकन करवाने एंव इस भूमि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है। अगर अप्रार्थी स. 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी मुश्किल है। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है ता दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवकता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में 1/4 हक व हिस्सा नही बनता है क्योंकि अप्रार्थी सं. 01 के पास जरिये दस्तवदारी कृषि भूमि अतिरिक्त आई हुई है जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही है।

अधिवकता अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 की ओर से बहस में कथन किया गया कि के पक्ष में जरिये डिक्री न्यायालय ए डी जे सं. 2 हनुमानगढ़ के आदेश, निर्णय व डिक्री के जरिये मु.न. 62/2013 अनवान शिवकुमार बनाम मनफूल मृतक (फूलवन्ती आदि) के अनुसार वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एच डी पी प.न. 5/257 कि.न. 6, 7 सालम व कि.न. 8 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का बैय नामा जरिये उप पंजियक गोलूवाला के दिनांक 3.9.2024 का पंजियन शुदा बैयनामा प्रार्थीगण के पक्ष में ब. हिस्सा बराबर बराबर पंजियन शुदा है। चूँकि इस न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में हम प्रार्थीयान के पक्ष में निष्पादित बैय नामा की भूमि पर स्थग्न आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण हम अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहा है जिससे श्री मान जी के न्यायालय के द्वारा जारी स्थग्न आदेश को हम अप्रार्थीगण की हद तक खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में पैत्रक भूमि में हक्कों की घोषणात्मक वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है वाद पत्र में उभय पक्ष द्वारा प्रभावी पेरवी की जारही है। प्रार्थीगण के के द्वारा अपने हक्कों की घोषणा का अनुतोष वाद पत्र में साबित किया जाना है वाद पत्र में प्रार्थीगण का वाद पत्र गुणोंवगुण पर निर्णित किया जाना है जो कि साक्ष्य पर जैरकार है इस स्तर पर प्रार्थना पत्र खारिज करने से यदि प्रश्नगत रकबा का अन्तरण होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है तथा वाद पत्र पर निर्णय से पूर्व प्रार्थना पत्र खारिज करने से उभय पक्ष के मध्य विवाद बढने की संभावना है इस लिए वाद पत्र निर्णय तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार कर दिनांक 23.08.22 तादावा ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनाकं 22/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा